Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला पाली में आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली को 4,000/— रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 30 जनवरी गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी पाली द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली को 4,000/— रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डा. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी पाली द्वितीय कों एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के घर पर संचालित फर्म का वेरीफीकेशन कर फाईल को आगे भेजने एवं पेनल्टी नहीं लगाने की एवज में आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक द्वारा दौराने मां ग सत्यापन 4,000/— रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा मांग के अनुसरण में आज रिश्वत राशि 4,000/—रूपये प्राप्त किये गये।

जिस पर एसीबी रेंज **जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र कुमार महावर** के सुपरविजन में एसीबी चौकी पाली द्वितीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री खींवसिंह** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री नरेन्द्र सिंह सीजीएसटी निरीक्षक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग पाली को 4,000/— रूपये रिश्वत राशि** लेतें रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है रिश्वत राशि जो आरोपी द्वारा ब्यूरो टीम को देखकर अपनी जेब से निकाल कर सड़क पर फेंक दी थी जो बरामद की गई।

एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।